

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2012, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2012 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹203055.61 करोड़ और ₹192500.99 करोड़ थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2012 were ₹203055.61 crores and ₹192500.99 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	1.81 (4)	1.81 (4)	—	1.58 (3)	—	—	0.23 (1)	—	—	—
वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES	1.50 (1)	1.50 (1)	—	—	1.50 (1)	—	—	—	—	—
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	22136.36 (20)	17392.75 (16)	4743.61 (4)	1176.50 (3)	—	—	20959.86 (17)	45.42	45.42	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER
AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION	44495.00	34495.00	^10000.00	—	—	—	44495.00	*—	—	—
	(2)	(2)					(2)			

उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry	479.01	^479.01	—	—	—	—	479.01	11.96	0.64	—
	(9)	(9)					(9)			

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

MINISTRY OF MICRO, SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES,
KHADI & VILLAGE

INDUSTRIES COMMISSION

(KVIC)	292.54	292.54	—	—	—	—	292.54	60.39	—	—
	(1)	(1)					(1)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS
AND FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and
Petrochemicals

	2.55	2.55	—	—	—	—	2.55	**—	—	—
	(1)	(1)					(1)			

फार्मास्युटिकल्स विभाग

Department of Pharmaceuticals	1039.56	1023.84	#15.72	—	—	—	1039.56	60.35	—	—
	(5)	(5)					(5)			

* मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

* Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

^ भारतीय खाद्य निगम नकद ऋण सीमा मंत्रालय के दिनांक 25.11.2011 के पत्र के द्वारा ₹34495.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹44495.00 करोड़ कर दी गई है।

^ Cash Credit limit of FCI has been increased from ₹34495.00 crore to ₹44495.00 crore vide letter dated 25.11.2011 of the Ministry .

** कोई गारंटी फीस प्राप्य नहीं है क्योंकि गारंटी पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड के संबंध में दी गई है जो समापनाधीन है।

** No guarantee fee is receivable as the guarantee is given in respect of Petrofills Co-operative Ltd., which is under liquidation.

₹15.72 करोड़ ब्याज का अंश है जिसे गारंटी राशि में जोड़ दिया गया है।

₹15.72 Crore is the interest portion which has been added to the Guarantee amount.

^^ कुछ सीपीएसई के साथ समाधान के बाद, मंत्रालय द्वारा कालम 3 में प्रारंभिक शेष में परिसमापन, बंदी या संयुक्त उद्यम में परिवर्तन अथवा रेल मंत्रालय को अंतरण की वजह से संशोधन किया गया है।

^^ Postreconciliation with certain CPSEs the opening balance in Col. 3 has been revised by the Ministry owing to liquidation, closure or conversion into joint venture or transfer to Ministry of Railway.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4—संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां—जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	85.00 (2)	#85.00 (2)	—	35.00 (1)	—	—	50.00 (1)	0.85	0.85	—
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.59
रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE	255.46 (1)	255.46 (1)	—	255.46 (1)	—	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंत्रालय—

MINISTRY OF AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of Agriculture and

Cooperation

70.00	70.00	—	70.00	—	—	—	—	—	—
(2)	(2)		(2)						

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and

Petro Chemicals

100.00	100.00	—	—	—	—	100.00	1.00	1.00	—
(1)	(1)					(1)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

4525.00	125.00	4400.00	125.00	—	—	4400.00	0.42	0.18	—
(5)	(4)	(1)	(4)			(1)			

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of
Economic Affairs

2986.43	2986.43	—	850.25	—	—	2136.18	1.43	1.43	—
(17)	(17)		(11)			(6)			

वर्ष के आरंभ में बकाया राशि विलोपनों को लेखाबद्ध करने के लिए मंत्रालय द्वारा परिशोधित कर दी गई है, जिसे वर्ष 2010-11 के दौरान शामिल नहीं किया जा सकता था।

Amount outstanding at the beginning of the year has been revised by the Ministry to account for the deletions which could not be incorporated during the year 2010-11.

* गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसको माफ करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

* Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry	—	^—	—	—	—	—	—	—	—	—
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	4118.82 (17)	4118.82 (17)	—	*129.70	—	—	3989.12 (17)	—	—	—
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	59.08 (4)	59.08 (4)	—	—	—	—	59.08 (4)	0.59	0.59	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	163.00 (2)	**163.00 (2)	—	131.00 (1)	—	—	32.00 (1)	1.63	1.63	—

आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	77.00 (2)	77.00 (2)	—	—	—	—	77.00 (2)	0.12	0.12	—
--	--------------	--------------	---	---	---	---	--------------	------	------	---

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY
दूरसंचार विभाग
DEPARTMENT OF
TELECOMMUNICATIONS

	2.10 (1)	2.10 (1)	—	—	—	—	2.10 (1)	#45.79	—	—
--	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	--------	---	---

(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-

(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	25650.42 (20)	18049.78 (16)	7600.64 (4)	5588.29 (1)	—	—	20062.13 (19)	102.29	3.71	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	2094.35 (5)	2051.20 (5)	43.15	14.38	—	—	2079.97 (5)	22.83	22.92	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	25489.43 (45)	##20247.40 (41)	^^5242.03 (4)	1379.94 (3)	—	—	24109.49 (42)	251.78	251.78	—

* विलोपित गारंटी राशि भारतीय खाद्य निगम द्वारा एफ सी आई बांडों के संबंधित निवेशक को वापस की गई बड़ी गारंटी का हिस्सा है।

* Amount of Guarantee deleted is part of a large guarantee returned by FCI to the concerned investor.

** वर्ष के आरंभ में बकाया राशि विलोपनों को लेखाबद्ध करने के लिए मंत्रालय द्वारा परिशोधित कर दी गई है, जिसे वर्ष 2010-11 के दौरान शामिल नहीं किया जा सकता था।

** Amount outstanding at the beginning of the year has been revised by the Ministry to account for the deletions which could not be incorporated during the year 2010-11.

^ कुछ सीपीएसई के साथ समाधान के बाद मंत्रालय द्वारा कलाम 3 में सरकारी गारंटियों के आकड़ों में परिसमापन, बंदी या संयुक्त उद्यम में परिवर्तन अथवा रेल मंत्रालय को अंतरण की वजह से संशोधन किया गया है।

^ Post reconciliation with certain CPSEs the Govt. Guarantees figure in col. 3 has been revised by the Ministry owing to liquidation, closure or conversion into joint venture or transfer to Ministry of Railways.

^^ ₹2593.79 करोड़ को विदेशी विनिमय दर वैभिन्न्य शामिल है।

^^ Includes Foreign Exchange Rate variation amounting to ₹2593.79 crores.

गारंटी फीस को माफ किए जाने को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

The Ministry has approved the waiver of the Guarantee Fee.

आरईसी ने मंत्रालय को पहली बार सूचना भेजी है जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शेष भी बदल गया है।

REC have furnished information to the Ministry for the first time as a result opening balance has also changed.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (करोड़ रुपयों में) (In crore of rupees)
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	63967.98 (91)	47029.58 (83)	16938.40 (8)	*643.91 (1)	—	—	63324.07 (90)	97.35	96.33	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	64.16 (3)	59.18 (3)	**4.98	2.33	—	—	61.83 (3)	0.43	0.39	—
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	680.62 (1)	595.64 (1)	^84.98	21.49	—	—	659.13 (1)	1.49	1.49	—
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	2406.65 (8)	®858.60 (5)	1548.05 (3)	^28.51	—	—	2378.14 (8)	31.28	®@28.03	—

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	520.73 (2)	450.69 (2)	^70.04	59.29	—	—	461.44 (2)	1.06	1.06	—
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	676.29 (2)	595.31 (2)	^80.98	40.49	—	—	635.80 (2)	5.05	5.05	—
वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	4.40 (1)	^^4.40 (1)	—	—	—	—	4.40 (1)	0.05	0.05	—

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:—

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	610.36 (8)	610.36 (8)	—	—	—	—	610.36 (8)	32.94	6.10	—
--------------------------------------	---------------	---------------	---	---	---	---	---------------	-------	------	---

* विनिमय दर घट-बढ़ के कारण ₹591.52 करोड़ की राशि शामिल है।

* Includes an amount of ₹591.52 crore due to exchange rate variation.

** इसमें विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण ₹4.52 करोड़ की राशि शामिल है। शेष ₹0.46 करोड़ ब्याज अंश से संबंधित है।

** Includes an amount of ₹4.52 crore on account of exchange rate variation. Balance of ₹0.46 crore pertains to Interest Portion.

^ विनिमय दर घट-बढ़ के कारण।

^ Due to exchange rate variation.

^^ मंत्रालय द्वारा सूचना पहली बार प्रस्तुत की गई है।

^^ Information has been furnished for the first time by the Ministry.

@ वर्ष के आरम्भ (अर्थात् 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार) में बकाया को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के साथ लेखा समाधान के पश्चात परिशोधित कर लिया गया है।

@ Outstanding at the beginning of the year (i.e. as on 1.4.2011) has been revised after reconciliation with Indian Renewable Energy Development Agency.

@@ ₹28.03 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त होने के अतिरिक्त, ₹3.25 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। तथापि, इसे 2012-13 में लेखाबद्ध किया गया है।

@@ In addition to receipt of guarantee fee of ₹28.03 crore an amount of ₹3.25 crore has also been received. However, it has been accounted for in 2012-13.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concl'd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details
1	2	3	4	5	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
					6	7	9	10
								11
उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग								
Department of Heavy Industry	—	^—	—	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपयों में)
(In crore of rupees)

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:—

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN

DEVELOPMENT

— — — — — — — — *1.50 — —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य -

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

^ समाधान के बाद, मंत्रालय द्वारा कालम 3 में सरकारी गारंटी आंकड़े बीएससीएल को रेल मंत्रालय को अंतरित किए जाने की वजह से संशोधन किया गया है।

^ Post reconciliation the Govt. guarantee figure in col. 3 has been revised by the Ministry owing to transfer of BSCI to Ministry of Railways.

* यह ओमनीबस गारंटी जो पहले ही अभ्यर्पित की जा चुकी है, के संबंध में गारंटी शुल्क को दर्शाता है। गारंटी शुल्क की अदायगी न किए जाने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।

* It represents guarantee fee in respect of Omnibus guarantee which has already been surrendered. Matter regarding non-payment of it is pending with Ministry of Finance.